न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी :— नेहा छीपा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—172/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मदनलाल पुत्र नानूराम जाति माली निवासी बनेड़ा
2. महेश कुमार पुत्र किशनलाल शर्मा निवासी आजादनगर जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक 18.12.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136, 131 के अन्तर्गत दिनांक 13.04.2023 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम बनेड़ा तहसील बनेड़ा की खाता सं. 1232 खसरा सं. 2643/1 रकबा 0.2529 है0, खसरा सं. 2644/1 रकबा 0.0506 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

उक्त खसरा सं. 2643/1 रकबा 0.2529 है0, खसरा सं. 2644/1 रकबा 0.0506 है0 का नक्शा प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.02.2023 को पटवार हल्का बनेड़ा से प्राप्त किया तो नक्शे खसरा सं. 2643/1 रकबा 0.2529 है0 नीचे की तरफ एवं खसरा सं. 2644/1 रकबा 0.0506 है0 नीचे की तरफ लाल साई के नीचे दर्शा रखा है जो सही बना हुआ था, लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा सं. 2643/1 रकबा 0.2529 है0, खसरा सं. 2644/1 रकबा 0.0506 है0 का नक्शा ऑनलाईन भू—नक्शा से प्राप्त किया तो नक्शा राजस्व कर्मचारी की गलती से खसरा सं. 2643/1 की जगह खसरा सं. 2643/2 एवं खसरा सं. 2644/1 की जगह 2644/2 गलत कर दी है जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। अतः खसरा सं. 2643/1 रकबा 0.2529 है0, खसरा सं. 2644/1 रकबा 0.0506 है0 की तरमीम नक्शा पटवार हल्का द्वारा लाल लाईन से अंकित नक्शे के अनुसार ऑनलाईन भू—नक्शा में सही किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी तहसीलदार बनेड़ा को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बनेड़ा ने उनके पत्रांक/भू.अ./2023/1321 दिनांक 18.12.2023, से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके व रिकॉर्ड का निरीक्षण अनुसार ग्राम बनेड़ा के राजस्व नक्शे में आराजी नं. 2643/2 के बजाय आराजी नं. 2643/1 तथा आराजी नं. 2643/1 के बजाय 2643/2 एवं आराजी नं. 2644/2 के बजाय आराजी नं. 2644/1 तथा आराजी नं. 2644/1 के बजाय 2644/2 प्रतिस्थापित करने बाबत् प्रस्ताव/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त के अवलोकन व सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस तथा कानूनी प्रावधानों व दृष्टान्तों के मद्देनजर यह उचित है कि राजस्व नक्शे में ग्राम बनेड़ा के आराजी नं. 2643/2 के बजाय आराजी नं. 2643/1 तथा आराजी नं. 2643/1 के बजाय 2643/2 एवं आराजी नं. 2644/2 के बजाय आराजी नं. 2644/1 तथा आराजी नं. 2644/1 के बजाय 2644/2 प्रतिस्थापित संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ऑनलाईन भू—नक्शे में दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बनेड़ा के आराजी नं. 2643/2 के बजाय आराजी नं. 2643/1 तथा आराजी नं. 2643/1 के बजाय 2643/2 एवं आराजी नं. 2644/2 के बजाय आराजी नं. 2644/1 तथा आराजी नं. 2644/1 के बजाय 2644/2 प्रतिस्थापित संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ऑनलाईन भू–नक्शे में दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार बनेड़ा संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ऑनलाईन भू–नक्शे में शुद्धि करें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा